उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2
संख्या–वे0आ0–2–252/दस–54(एम)/2008टी0सी0
लखनऊ : दिनांक : 07 फरवरी, 2009

संकल्प

पढ़ा गया : वेतन समिति (2008) के द्वितीय प्रतिवेदन भाग–2 में की गयी संस्तुतियाँ।

पर्यालोचनार्थ– शासन द्वारा वेतन समिति के द्वितीय प्रतिवेदन भाग–2 में स्वशासी संस्थाओं के विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों/अधिकारियों के संबंध में की गयी संस्तुतियों पर विचार किया गया। शासन ने संलग्न तालिका–1 में उल्लिखित स्वशासी संस्थाओं एवं अन्य ऐसी संस्थाओं, जिनमें पूर्व में वेतनमानों का पुनरीक्षण राज्य सरकार की सहमति से किया गया हो, के संबंध में वेतन समिति के द्वितीय प्रतिवेदन भाग–2 में की गयी संस्तुतियों को निम्नानुसार स्वीकार कर लिया है :––

(1) पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड तथा ग्रेड वेतन में निर्धारित वेतन दिनांक 01–01–2006 अथवा दिये गये विकल्प की तिथि से देय होगा एवं मँहगाई भत्ते की संशोधित दरें वेतन समिति की संस्तुति के अनुसार राज्य कर्मचारियों के समान देय होंगी।

(2) वर्तमान में उपलब्ध कोई वेतनमान यदि संस्तुति में सम्मिलित होने से छूट गया हो तो ऐसे वेतनमान के लिए पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड तथा ग्रेड वेतन, समान Considerations के आधार पर निर्धारित कर दिये जायेंगे।

(3) दिनांक 01–01–2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा :–

(क) पुनरीक्षित वेतन संरचना में स्वशासी संस्थाओं के ऐसे कर्मचारियों/अधिकारियों जिनके मूल वेतन के 50 प्रतिशत के समतुल्य मंहगाई भत्ते की धनराशि को मंहगाई वेतन में परिवर्तित किया गया है, के लिये पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण की प्रकिया वही होगी जो राजकीय कर्मचारियों के लिए निर्धारित है।

(ख) पुनरीक्षित वेतन संरचना में स्वशासी संस्थाओं के ऐसे कर्मचारियों/अधिकारियों जिनके मूल वेतन के 50 प्रतिशत के समतुल्य मँहगाई भत्ते की धनराशि को मँहगाई वेतन में परिवर्तित नहीं किया गया है, का वेतन निर्धारण निम्नवत् किया जायेगा :––

> "दिनांक 01–01–2006 को वर्तमान वेतनमान में अनुमन्य मूल वेतन की 186 प्रतिशत धनराशि पुनरीक्षित सादृश्य वेतन वैण्ड में वेतन के रूप में निर्धारित की जाये। उक्त निर्धारित धनराशि तथा सादृश्य ग्रेड वेतन के योग को पुनरीक्षित वेतन सरंचना में मूल वेतन माना जायेगा।"

(4) पुनरीक्षित वेतन संरचना में वार्षिक वेतन वृद्धि की दर एक समान 03 प्रतिशत तथा वेतन वृद्धि की तिथि समान रूप से सभी कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए वेतन समिति के प्रथम प्रतिवेदन के माध्यम से राजकीय कर्मचारियों/अधिकारियों के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार 01 जुलाई रखी जायेगी।

(5) स्वशासी संस्थाओं के विभिन्न श्रेणी के ऐसे कार्मिक/पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर जिन्हें पेंशन की सुविधा पूर्व से राजकीय कर्मचारियों के सादृश्य अनुमन्य है, के लिए पेंशन पुनरीक्षण की वही प्रकिया अपनायी जायेगी जो प्रकिया राजकीय कार्मिकों/पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के संबंध में लागू की गयी है। साथ ही अन्य ऐसे सेवा नैवृत्तिक लाभ, जो पूर्व से राजकीय कार्मिकों के सादृश्य अनुमन्य हैं, का पुनरीक्षण भी राजकीय विभागों के कार्मिकों/पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के संबंध में वेतन समिति के प्रथम प्रतिवेदन के माध्यम से की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार किया जायेगा।

(6) स्वशासी संस्थाओं के विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतन संरचना में समयमान वेतनमान/ए0सी0पी0 के रूप में 10 वर्ष, 20 वर्ष तथा 30 वर्ष की सेवावधि पर स्तरोन्नयन के रूप में अगला ग्रेड वेतन राजकीय कार्मिकों के संबंध में शासन द्वारा लिये गये निर्णय के सादृश्य अनुमन्य किया जायेगा।

(7) उक्त श्रेणी के कार्मिकों को मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता, स्वैच्छिक परिवार कल्याण हेतु अतिरिक्त प्रोत्साहन, सामूहिक बीमा योजना तथा प्रसूति अवकाश/बाल्य देखभाल अवकाश (Child Care Leave) की संशोधित दरें/व्यवस्था इस संबंध में राजकीय कार्मिकों के विषय में वेतन समिति के प्रथम प्रतिवेदन के माध्यम से की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से प्रभावी की जायेंगी।

(8) पुनरीक्षित वेतन संरचना, महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते तथा सुविधाओं का लाभ निम्न के अधीन अनुमन्य कराया जायेगा :–

1– संबंधित संस्था की गवर्निंग बाडी/बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया हो। अनुमोदन हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव में यह स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि जो संस्थाएं शत प्रतिशत अथवा आंशिक रूप से राजकीय अनुदान से संचालित हैं उनके लिए अतिरिक्त बजटीय प्रावधान करा लिया गया है।

2– स्वयं के स्रोतों से संचालित संस्थाएं अतिरिक्त व्ययभार को वहन करने हेतु सक्षम हैं एवं इस हेतु संस्था के पास अतिरिक्त आय के संसाधन उपलब्ध हैं।

3– राज्य सरकार अथवा अन्य सेवाओं के अधिकारी जो स्वशासी संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति के आधार पर तैनात हैं, उन्हें अपने संवर्ग के अनुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैंण्ड/ग्रेड वेतन व अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।

4— ऐसी स्वशासी संस्थाएं जहाँ आई0सी0ए0आर0 के वेतनमान लागू हैं, में आई0सी0 ए0आर0 द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान तब देय होंगे जब प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों में आई0सी0 ए0आर0 वेतनमान लागू कर दिये जायें।

5. यदि किसी स्वशासी संस्था के कार्मिकों को राजकीय कार्मिकों से इतर कोई सुविधा अनुमन्य है तो उसका पुनरावलोकन शासन द्वारा किया जायेगा।

(9) वेतन समिति के द्वितीय प्रतिवेदन भाग–2 में स्वशासी संस्थाओं के विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों/अधिकारियों के संबंध में की गई संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना की स्वीकृति विषयक आदेश संबंधित प्रशासनिक विभागों द्वारा वित्त विभाग की सहमति से अलग–अलग जारी किये जायेंगे।

(10) स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतनमान आदि पर आवश्यक धनराशि के जितने प्रतिशत भाग को वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है, पुनरीक्षित वेतन संरचना, भत्ते एवं सुविधाओं का लाभ दिये जाने के फलस्वरूप आने वाले अतिरिक्त व्ययभार के उतने ही प्रतिशत भाग को राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। अवशेष अतिरिक्त व्ययभार को सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा अपने स्रोतों से वहन किया जायेगा। प्रतिवेदन के प्रस्तर–63 {उप प्रस्तर–2(ii व iii)} को उक्त सीमा तक स्वीकार किया गया।

(11) वेतन समिति (2008) के द्वितीय प्रतिवेदन भाग–2 के प्रस्तर–63 के उप प्रस्तर–1(i), 1(ii) तथा उप प्रस्तर–2(i) में दिये गये सुझावों को स्वीकार किया गया।

(12) इस संकल्प के जारी होने के दिनांक से प्रदेश की स्वशासी संस्थाओं में पदों पर भर्ती, सृजन तथा अस्थाई कर्मचारियों का स्थायीकरण पुनरीक्षित वेतन संरचना में ही किया जायेगा।

(13) किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता होने पर वित्त विभाग से परामर्श प्राप्त किया जायेगा।

2— वेतन समिति के अध्यक्ष, सदस्यों तथा समिति के अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने जिस परिश्रम, अध्यवसाय व निष्ठा से अपना गुरूतर दायित्व निर्वहन करते हुए यह प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, शासन उसकी सराहना करता है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प जन–साधारण की सूचना के लिए उत्तर प्रदेश गजट में प्रकाशित किया जाय। संकल्प तथा वेतन समिति का द्वितीय प्रतिवेदन भाग–2 वित्त विभाग की वेब साइट पर रखा जाय और सम्बन्धित विभागों को भी भेजी जायें।

प्र०२०

यह भी आदेश दिया जाता है कि वेतन समिति के द्वितीय प्रतिवेदन भाग–2 तथा संकल्प की प्रतियाँ, राजकीय सेवा संघों और जनता के लिए बिक्री हेतु उपलब्ध रखी जायें।

आज्ञा से,

अनूप मिश्र

(अनूप मिश्र)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या–वे0आ0–2–252(1)/दस–54(एम)/2008टी0सी, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रतिवेदन की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
4. सम्बन्धित विभागों के विभागाध्यक्ष।
5. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क, उत्तर प्रदेश।
6. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1 (25 प्रतियाँ)।
7. सचिवालय के सम्बन्धित विभागों से सम्बन्धित समस्त अनुभाग।
8. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।